भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 853

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निःशुल्क नैदानिक एवं औषधि सेवाएँ

853. श्री दुरई वाइको:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु के तिरुचिरापलली और पुदुकोट्टई जिले में निःशुल्क नैदानिक सेवाएं पहल' सर्विसेज के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत द्वारा निःशुल्क दवा सेवा पहल तिरुचिरापल्ली और पुदुकोट्टई जिलों को दिए गए लाभों का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत 'निःशुल्क निदान सेवा पहल' (एफडीएसआई) कार्यक्रम का सहयोग करता है। यह कार्यक्रम जुलाई, 2015 में सभी लाभार्थियों को निःशुल्क निदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल नैदानिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। एफडीएसआई उप -केंद्र (एससी) में 14 परीक्षण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में 63 परीक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में 97 परीक्षण, उप-जिला अस्पताल (एसडीएच) में 111 परीक्षण और जिला अस्पताल (डीएच) में 134 परीक्षण की व्यवस्था करने की सिफारिश करता है।

तमिलनाडु सरकार ने जी.ओ. संख्या 274 के तहत स्वास्थ्य सुविधाकेंद्र के प्रत्येक स्तर पर नैदानिक परीक्षण की उपलब्धता की संख्या अधिसूचित की है। जी.ओ. के अनुसार, **तिरुचिरापल्ली और पुदुकोट्टई** जिलों सहित पीएचसी और सीएचसी में परीक्षणों की संख्या क्रमशः 63 परीक्षण और 97 परीक्षण

हैं। एचएमआईएस पोर्टल के अनुसार जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों पर जांच के लिए आए लाभार्थियों का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

लाभार्थी के फुटफॉल संख्या	**2024-25** (अप्रैल **2024-** जनवरी **2025)**	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**
पुदुकोट्टई	7987171	9154342	7587477	7445123	6535947
तिरुचिरापल्ली	8672868	9534168	8915706	5993634	4744700

(ख): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है। एनएचएम के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण, आवश्यक और जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। विगत पांच वर्षों में, नि:शुल्क औषधि सेवा पहल में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और पुदुकोट्टई जिलों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निम्नलिखित लाभ प्रदान किए गए हैं:

i. वर्ष 2015 में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने नि:शुल्क दवाओं की पहुँच में सुधार के लिए "नि:शुल्क औषधि सेवा पहल" (एफडीएसआई) शुरू की है। यह पहल जिला अस्पताल और निम्न-स्तरीय सुविधाकेंद्रों में स्वास्थ्य सेवा परिचर्या मांगकर्ताओं को नि:शुल्क दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के राज्य के प्रयासों का पूरक है।

ii. नि:शुल्क अनिवार्य दवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए एनएचएम निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करता है:

क. दवाओं की खरीद
ख. आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली का सुदृढ़ीकरण
ग. दवाओं की रसद
घ. औषधि भंडारगृह

iii. भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के तहत भारत सरकार ने राज्य को निम्नलिखित सुविधाकेंद्र-वार अनिवार्य दवा सूची (ईएमएल) की सिफारिश भी की है:

क. एएएम - उप केंद्र - 106
ख. एएएम - पीएचसी/यूपीएचसी - 172
ग. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) - 300
घ. उप जिला अस्पताल (एसडीएच) - 318
ङ. जिला अस्पताल (डीएच) - 381

******